

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

अमन सेन्ट्रल इंग्लिश स्कूल,
चुप्पेपुर, छतरीपुर, वाराणसी।

पत्रांक: /बेसिक/19050-52

/2017-2018

दिनांक: 28 मार्च, 2018

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29-08-2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं अमन सेन्ट्रल इंग्लिश स्कूल, चुप्पेपुर, छतरीपुर, वाराणसी को तारीख 01-04-2018 से तारीख 31-03-2024 तक 6 वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-6 में (या यथारिथति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

28/3/18

13

(क्रमशः-2)